

राजस्थान राज-पत्र

प्रथम भाग

Rajasthan Gazette

PART I

साधिकार प्रकाशित]

[Published by Authority

क्रि. १: संख्या १७३
Vol. I: No. 173

फाल्गुन शुक्ल १५, शनिवार, संवत् २००६ विजय
Falgun Shukla 15, Saturday, 2000

मार्च ४, १९५०
March 4, 1950.

प्रत्येक संग्रहीकरण की सुविधा को दृष्टि में रखकर प्रत्येक भाग में पृष्ठ संख्या प्रत्येक २ दी गई है।

विषय-सूचि

प्रथम भाग—सरकारी आज्ञाओं, नियुक्ति, स्थान नियुक्ति, अन्वयण और स्थानान्तरण आदि से सम्बन्धित विज्ञप्तियां २३६-२४४

द्वितीय भाग—प्रबन्धक कार्यालयों, प्रधान न्यायालय, अपील न्यायालयों व अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, साधिकार ठिकानों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां, पब्लिक सर्विस कमिशन की सूचनाएँ,

भूमि-प्राप्ति की सूचनाएँ, विद्रुप विज्ञप्तिकरण, टेण्डर लेन, बाँकड़ों सम्बन्धी सूचनाएँ, आदि २४०-२६२

तृतीय भाग—विलों, बालेसों या निषेधों आदि पर विविध समितियों की रिपोर्टें

चतुर्थ भाग—विधान, आर्जिनेन्स, नियम व प्रवन्ध-नियम व अपने अन्तिम रूप में उनके अन्तर्गत उप-नियम व आदेश ४७१-४८०

राजस्थान सरकार

पर्यावरण विभाग

विज्ञप्तियां

जयपुर, फरवरी १७, १९५०

संख्या एफ-१ (१२०) फोर-ए-४६.—हमारा आम को जरिये आज्ञा दी जाती है कि मारवाड़ के परगनेजात वाली, देसूरी, सोजत, जेतारण, तहसील मेन्द्रा (पहाड़ गाढावाला) परवतसर (पहाड़ वसी, बवाल से खुदियास, मंडो-वरी तक नवी और बीदीयाद वगैरह) सीवाना (पहाड़ छपना सेला, कुण्डल वगैरह) जालोर (पहाड़ रोजा, किलावाला, एचराना वगैरह) जयवन्तपुरा (पहाड़ मूंडा, दोरडा वगैरह) और जोधपुर (पहाड़ भाचीया, चानथा, मोतीसरा, लालमागर, देवकुण्ड, भूतेश्वर, जोड़ बासजी की बाँकड़ों, छीतर तारवन्दी वगैरह) में रकना जंगल वगैरह कायम इन्तजाम जंगल साधना में महत्त्व दिया जाकर उनकी भीषणता पर नगर-वर्दी (जो इस वकत भी मौजूद है) को जाकर जैर निगरानी महत्त्व जंगल रक्षे जा चुके हैं

और इन मुतजिकरे पहाड़ों की जमीन को रखाया हुआ जंगल करार दिया जाकर सबका में इश्तिहार भी साधा किया जानुका है। फिर उठी सिलसिले में मारवाड़ फारेस्ट एक्ट, १९३४, की दफा ४ व ६ के तहत इश्तिहार हाजा जारी किया जाकर सबको आगाही की जाती है कि इन जंगलों से (जिनकी कि एहद सरकारी तोर से सीने जल्द लाई गई है और जिनकी मुफ्तसिल हद महत्त्व जंगल में Topographical नक्शे बने हुए मौजूद हैं जिनमें देखी जा सकती है) पैदावार जंगल कोर तहसीली इजाजत महत्त्व जंगल से हासिल किये कोई शरत नदेगा, नुकसान पहुँचायेगा इनादती करेगा, निकास करेगा, या चराई करेगा और कोई किस्म का नुकसान देगा या हानि से करेगा। ऐसी आज्ञाओं तोर पर जारी हुई, इनादती की हुई या निषेध की हुई पैदावार खरीदेगा या बेचेगा या किसी किस्म का नुकसान मुताबिक दफा २६ फोर-ए-४६ के करेगा जो कि पिलाफर्जी कानून जंगल, सन् १९३४, मुताबिक ही उसका यह वगैरह कायम जंगल सजा पाने का मुताबिक होगा।

(फतेह सिंह राठी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

परमना वाली से जवाहर, तहसील सेन्द्रहा तक (आटावाला एी दर)---जीवाणा छोटा जोरी से समाकर सुमेल बावरा तक जो पहाड़ आड़ावाला Chavali hills को चाला Range गई है और जिनके पूर्व में देवपुर व अजमेर की सरहद व दक्षिण में गिरौली की सरहद व पूर्व में मारवाड़ का गांव आलनिमाल व लूणी (नदी) की सरहद है और पश्चिम में गिरौली की गांव, जवाहरपुर, धीजापुर, सेवाड़ी, लाटाड़ा, सादड़ी, पाणगांव, पट्टा के गांव देसूरी, नागोल, कोट जोजावर, फुलाद, सारण, कटालिया, बड़ागुडा, बीजाजी का गुडा, खोड़िया, कालव, पचानपुरा, दीपावास, पाणजा वरधरादिगा, गिरी, बावरा और सुमेल धगेरह २ हैं जिनकी कुछ जमीन भी उसी खत जंगल में शामिल है।

तहसील सेन्द्रहा Retroceded Area के पहाड़ की हद्द:---ब्लॉक कोट किराना, वगड़ी, सीरमण, बोवाड़, चांग जिसके पूर्व में अजमेर की सरहद व उत्तर व दक्षिण में अजमेर व पश्चिम में मारवाड़ का जंगल आड़िया, कालव, पाणजा वीरा वगेरा की सरहद लगती है।

परमना परमनर---१. बत्ती से मंडोवरी तक एक पहाड़ (बत्ती से मंडोवरी तक) की शाखा जो चली गई है जिसके उत्तर-पूर्व में किशनगढ़ व पूर्व व दक्षिण में अजमेर व पश्चिम में मारवाड़ के गांव बत्ती, वगड़, मावपुर, चारणास, खुदियासर, मंडोवरी वगेरह हैं जिनकी कुछ जमीन भी उस खत जंगल में शामिल है।

२. ब्लॉक विदिवाड़-जिसके उत्तर में गुणावटी पूर्व में मांगवा, दक्षिण में किशनगढ़ के गावाजात की सरहद लगती है।

३. ब्लॉक पा-जिसके पूर्व में अजमेर की सरहद की सरहद लगती है।

परमना सीवाणा-१. पहाड़ छप्परा की एक शाखा महुडी, मोपलसर से होती हुई गुगरोट, मोरिया, पीपलून, नाल, मोमेर को गई है जिसके उत्तर में

मारवाड़ के गांव महुडी, गुगरोट, मोरिया, पीपलून, नाल, मोमेर को गांव की सीमा और दक्षिण में सीमिया, धीरा, मांगी, कुण्डल और पूर्व में राणीवाड़ा तक की जामपुर रेलवे लाइन है और पश्चिम में पारण गांव की सीमा लगती है।

२. पहाड़ (रोला कुण्डल) की एक दूसरी शाखा इस परमने में जो जनपुर मेला से होती हुई कुण्डल की तरफ गई है और जिनके उत्तर में जनपुर, रोला, कुण्डल के गांव की सीमा व दक्षिण में भांगव, तेलवाड़ा की सीमा और पश्चिम में कुण्डल और पूर्व में कावारी गांव की सरहद लगती है।

परमना जालौर---१. एक पहाड़ (रोजा, किला-वाला) की शाखा इस परमने में जालौर से पहाड़ की गई है जिनके उत्तर में पहाड़पुरा, दक्षिण में भागलो, पूर्व में जालौर और पश्चिम में कालर, तगां, बीजोपुरा के गांव की सीमा लगती है।

२. पहाड़ (एचराना) की एक और शाखा इस परमने में गांव जगन्नाथजी भेडा, पांडगडा, राजन-पांडी व बीरवा के गांव में आई हुई है।

परमना जयपुरग---पहाड़ (दोड़ड़ा) की एक शाखा गांव दोरड़ा व राजौरावास के बीच में आई हुई है जो पहाड़पुरा से मोला की गई है जिसके उत्तर में बावली पश्चिम में पहाड़पुरा राजौरावास व दक्षिण में चेकरा व पूर्व में मोलाणा, दोरड़ा की सरहद है।

पहाड़ मूंडागाताजी की एक और शाखा इस परमने में गांव राजपुरा, दांतलावास से उचमत तक गई है जिसके उत्तर में राजपुरा, दांतलावास, दक्षिण में उचमत व पूर्व में जयपुरगपुरा, चेकरा और पश्चिम में पण पणरा के गांव की सरहद लगती है।

परमना जोधपुर---१. पहाड़ देवगुण्ड, २. पहाड़ मोतीसरा, ३. पहाड़ चानणा, माचीया, ४. पहाड़ लाल सागर, ५. पहाड़ भूतेश्वर, ६. जोड़ व्यासजी की गांवड़ी।

(फतेह सिंह राखी)

उप वन संरक्षक

वन्यजीव, राजसमन्द

विज्ञापित
(धारा 4 के अधीन)

जयपुर, दिनांक

उक्त दस्तावेज में वर्णित भूमि में निम्नलिखित वन-भूमि संपदा वन-भूमि सरकार की संपत्ति है अथवा उसमें सरकार अधिकार रखती है अथवा वन की सम्पूर्ण उन्नत या उसके किसी भाग को लेने का हक रखती है।

एवं पूर्ण सरकार राजस्व वन अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन पूर्ण वन-भूमि संपदा वन-भूमि वन के रूप में गठन करने का विचार रखती है।

अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्वारा यह है कि कथित भूमि को वन-भूमि के रूप में गठित करने का निश्चय किया गया है और इसके प्रतिरक्त वन अधिकारी, सहायक वन अधिकारी वन अधिकारी को ऐसी सीमाओं में सम्मिलित किसी भूमि में या पर अथवा किसी या पर किसी व्यक्ति के पक्ष में अभिकथित किन्हीं अधिकारों के अस्तित्व, प्रकार तथा सीमा के बारे में जांच नर्धारण करने के लिये और तद्विषयक कार्यवाही करने के लिये जैसा कि उक्त एक्ट के अनुच्छेद 2 में प्रावधानित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

आगत तारीख।

अनुसूची

वन-खण्ड का नाम	नाम तहसील	नाम जिला	सीमाएं	विशेष विवरण
जोषावर	देहरी हारवी रेन्ज जोषावर	पाली	उत्तर-सीमा ग्राम गुडा मोंपाल वनखण्ड भण्डा पूर्व - सीमा ग्राम डाकली व सीमा डोंडाका अजमेर दक्षिण- सह्य दिगेर ते छोटा तोर्गोपात गया गाँव पश्चिम-भातेवारी भूमि ग्राम समाप्त जोषावर रा वास्ता	ग्राम तोडाका टाणा ठ. नं. डोंडाका फिरोजपुर हो में 51 255.29 गेजेट जंगल 1 255.29 ग्राम - डोंडाका 375 0.40 गेजेट 376 436.07 गेजेट जंगल 2 436.47 ग्राम - डोंडाका 45 70.67 गेजेट अजमेर
(फतेह सिंह राठौड़) उप वन संरक्षक वन्यजीवी, राजसमन्द			कुल 111	

विभाग : विचारधारा

46	0.40	ॐ. मु. राखना
47	24.51	ॐ. मु. मगरा
48	0.43	भारानी दो.
49	0.59	" "
50	0.52	" "
51	1.68	" "
54	1.85	" "
55	0.73	खंड
154	0.86	भारानी दो.
155	0.78	" "
156	0.90	ॐ. मु. नाभा
157	0.18	भारानी दो.
158	0.24	ॐ. मु. नाभा
159	0.68	भारानी दो.
160	0.74	" "
161	0.34	" "
162	0.10	ॐ. मु. नाभा
163	0.77	भारानी दो.
164	0.29	" "
166	1.33	ॐ. मु. नाभा
167	393.06	ॐ. मु. नाभा
22	502.03	

गाम- देवपुरा-

199	22.02 ✓	22.02
1	22.02	

गण- खातीर ✓

313 ✓	9.22	71.71	HERY
595	699.11 ✓	71.71	SHASTIN
596	294.19 ✓		
---	---		
3	1002.52		

पुनः पुनः—

Scanned with CamScanner

(फतेह सिंह राठौड़)

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

का-कोट रा
नाम

नाम
राजीव

नाम जिला सीमा

विशेष विवरण

ग्राम-कोट सीमाजीपात

704	657.04	गे. मु.
1774		
1	657.04	

ग्राम-गुडा सीमाजीपात जमादर नकल
आप करवी दे

345	463.62	गे. मु. मातर
1	463.62	

कुल एक्टर = 3539.79

भगोडा
जारी
रेंज
जो जावर

पानी उत्तर- सीमा ग्राम
टास, फाळ
किरीपारी

ग्राम-करमान ✓
698 548.75 गे. मु. पा

पूर्व - सीमा ग्राम
वीरमुहा
जीमां का
कुडा

1 548.75 ✓

दक्षिण- सीमा ग्राम
टापी
तोडात
फाळमा
जो जावर

ग्राम-भगोडा ✓
945 6.22 गे. मु. सडक
946 64.12 गे. मु. जंगलात
947 0.70 गे. मु. सडक
948 1007.16 गे. मु. जंगलात

पश्चिम - कायत भूमि
गुडा सीपात
करमान
भगोडा,
तोडात,
करमान

1463 373.73 -
1464 24.17 -
6 1476.10

ग्राम-सीमाजीपात गुडा ✓

85 12.03 गे. मु. जंगलात
86 2.47 गे. मु. सडक
ग्राम-—

(फतेह सिंह राठी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

स-पैड का नाम नाम सीमा में पिछा विवरण
 नाम स्थिति जिला

87 77.23 मे. मु. जंगल
 3 99.43

ग्राम - लोखा ✓

742 26.19 मे. मु. पंछा
 743 0.01 मे. मु. गहन ?
 744 1.00 मे. मु. लक्ष्म
 745 2.11 मे. मु. जंगल
 4 30.31 ✓

ग्राम - करापाड़ा

252 667.48 मे. मु. जंगल
 1 667.48

ग्राम - कुटा गोपाल ✓

375 321.59 मे. मु. जंगल
 1 321.59

कुल पैक्टर = 3143.66

शेरी गरी गरी गरी गरी उत्तर- कायत मुमि
 रेंव ग्राम सिरी-
 गो गरी

पूर्व - सीमा ग्राम
 धनापला ए
 दिग्गद

पश्चिम- सीमा ग्राम
 दरगाह

पश्चिम- कायत मुमि
 दाग, दिग्गद व
 धनापला

ग्राम - सिरीगरी

2039 210.79 का विभाग
 1 210.79

ग्राम - दिग्गद

0.09 मे. मु. लक्ष्मी

ग्राम:-

(फतेह सिंह राठीड़)
 उप वन संरक्षक
 वन्यजीव, राजसमन्द

क्र-सं. का नाम नाम सी.मा.पे विशेष विवरण
नाम तहसील जिला

✓ 442 0.04 / भे. मु. दावडी
✓ 443 0.93 / भे. मु. आवाही
✓ 444 0.03 / भे. मु. पिनारा
✓ 445 0.15 / भे. मु. आवा-
ही

✓ 446 697.59 / भे. मु. जंगनारा

6 698.83 /

ग्राम- कुनाच ✓

✓ 153 444.50 / भे. मु. मगरा

264.42 / भे. मु. ताईन
रेलवे

✓ 426 1.10 / भे. मु. मगरा

1071 0.13 / प्रभुसिंह
महाराज

1072 0.13 / भे. मु. बेरी

1073 281.23 / भे. मु. पहाड़

1340 97.13 / -

1391 617.85 / -

8 1404.42 /

ग्राम- दास

849 57.98 / भे. मु. पहाड़

850 8.60 / -

851 86.50 / -

852 114.34 / भे. मु. पहाड़

4 267.42 /

कुल हेक्टर = 266155

प्रमाण:-

(फतेह सिंह राठौड़)

उप वन संरक्षक

वन्यजीव, राजसमन्द

नाम	नाम	रती मापें	विशेष विवरण
पारसी	पारसी		
उत्तर- सीमा ग्राम			ग्राम- शिरीपारी
कन्हालीपा			
पूर्व - सीमा ग्राम		1555	62.95 का विभाग
बरसापाडा		1	62.95 ✓
दक्षिण- सीमा ग्राम			
दाउली			ग्राम- सारण
मेवाड व			
सीमा		1489	6.01 मे. गु. भारवर
डिगौर		1490	150.43 मे. गु. स
पश्चिम - कायत भूमि		1491	18.97 मे. गु. भारवर
ग्राम शिरीपारी			
खोरीमादा,		3	175.41
बोमरी व			
तिरियादा			

ग्राम-खोरीमादा ✓

70	136.83	मे. गु. जंगल
282	54.70	मे. गु. भारवर
519	130.51	मे. गु. बाली
724	67.13	मे. गु. जंगल
746	20.74	मे. गु. बाली
929	5.37	मे. गु. भारवर
1096	44.51	मे. गु. जंगल
1105	24.28	-
1115	1.87	मे. गु.
1124	7.39	मे. गु. बाली
1162	144.29	मे. गु. जंगल
1163	0.61	मे. गु. जंगल
1193	11.13	मे. गु. रातगा
13	648.36	

ग्राम उपती व बौमरी

305	64.93	मे. गु. जंगल
724	14.75	-
725	0.40	वा. दो
726	2.20	मे. गु. भारवर
727	3.56	वा. दो.

(फतेह सिंह राठौड़)

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

श्री-राज्य नगर नगर सीमा में विधि विवरण
श्री नगर नगर जिला

929✓	0.61	वा.पो.
930✓	0.27	शे.मु.वा.वा.
✓1013	7.26	वा.
✓1220	5.32	जंगल
✓1229	470.55	जंगल
10	503.45	

ग्राम-विधिवा.वा.✓

✓321	89.84	शे.मु.जंगल
✓322	101.50	-
✓323	30.73	-
✓324	27.82	-
451✓	13.66	शे.मु.खारा
✓452	24.32	शे.मु.जंगल
✓453	0.25	-
+✓454	73.35	-
+✓455	161.62	-
9	523.09	

ग्राम-मु.वा.वा.

✓1मी	235.87	शे.मु.वा.वा.
✓16	165.23	शे.मु.वा.
✓15	12.33	-
✓46	0.56	-
✓119मी	6.40	-
✓122	1.28	-
✓218	3.26	-
✓223	0.94	-
✓242	7.45	शे.मु.जंगल
✓269	7.31	-
✓202	60.61	-
✓203	17.39	-
✓204	42.66	-

कुल:-

(फतेह सिंह राठीड़)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

म-खण्ड नाम नाम सीमाय विवेक विवरण
न नाम नक्षत्रिण जिला

✓291 7.04 मे. मु. जंगल
✓292 220.71 -
15 032.75

ग्राम-राह बाहरा

✓1 21.05 मे. मु. जंगल
✓112 339.00 -
✓113 23.77 -
114✓ 5.31 मे. मु. मगरी
301✓ 25.04 मे. मु. पहाड
✓303 58.90 मे. मु. जंगल
358✓ 26.31 मे. मु. पहाड
793✓ 12.01 -
848✓ 44.43 मे. मु. मगरी
858✓ 4.43 -
✓870 207.23 मे. मु. जंगल
11 767.48

कुल जंगल = 3594.49

ग्राम - पारडी

लीया लारची पानी उत्तर- सीमा ग्राम मुहा
रेंज ग्राम रेंज
लोवावर बीजागुहा

पूर्व - सीमा ग्राम
सावता खेडा

दक्षिण - सीमा ग्राम
सावता खेडा
सावता खेडा

पश्चिम - सीमा रेंज
चरागाह
ग्राम ग्राम
बीजागुहा

✓2868 0.05 मे. मु. जंगल
✓2869 0.05 -
✓2870 0.04 -
✓2871 0.08 -
✓2856 1.60 -
✓2863 31.17 मे. मु. जंगल
✓2867 379.07 मे. मु. जंगल
✓3045 2.73 मे. मु. जंगल
✓3089 228.70 -
✓3470 0.21 -
2722
10 646.70

(फतेह सिंह राठी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

